

कार्यालय मुख्य अभियंता (पश्चिमी) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्र संख्या- / ग्रा0अ0वि0 / टेके0पजी0-69 / कनि0सहा0-1 / 18-19, दिनांक- 2019

1237

पंजीकरण संख्या- 459 / श्रेणी - 'A' - मार्ग / 2019

08-02-2019

:- पंजीकरण प्रमाण-पत्र :-

अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल चित्रकूटधाम बादा के पत्र संख्या-981 दिनांक-19-01-2019 से प्राप्त श्री अमर चन्द्र राजपूत के "A" श्रेणी में पंजीकरण सम्बन्धी प्रपत्रों के सत्यापन/सरस्तुति के आधार पर श्री अमर चन्द्र राजपूत पुत्र श्री जगमोहन निवासी-दीवानपुरा करवा व तहसील राठ जिला हमीरपुर (पिन कोड-210431) को ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में मार्ग निर्माण कार्य के लिये श्रेणी 'A' में टेकेदारी हेतु दिनांक-30-06-2021 तक की अवधि के लिये एतद्वारा पंजीकृत किया जाता है।

यह प्रमाण-पत्र ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उत्तर प्रदेश के जनपदों में मान्य होगा तथा इसकी वैधता दिनांक-30-06-2021 के बाद स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

नवीनीकरण हेतु प्रार्थना पत्र अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-महोवा के कार्यालय में वैद्यता तिथि समाप्त होने के दो माह पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(अनिल कुमार मर्ग)  
मुख्य अभियंता(पश्चिमी)

पत्रांक एवं दिनांक-उपरोक्तानुसार।

प्रातिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-महोवा।
- 2- अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-चित्रकूट धाम बादा।
- 3- समस्त अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संबंधित आदेश की प्रति अपने स्तर से अधीनस्थ प्रखण्ड/पी0आई0यू0 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
- 4- मुख्य अभियंता(पूर्वी क्षेत्र) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग उ0प्र0लखनऊ।
- 5- निर्देशक एवं मुख्य अभियंता(नियोजन) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0लखनऊ।
- 6 श्री अमर चन्द्र राजपूत पुत्र श्री जगमोहन निवासी दीवानपुरा करवा व तहसील राठ जिला हमीरपुर (पिन कोड-210431)(मो0न-9415145609) (ईमेल- amarchandraraj1969@gmail.com) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि यदि प्रस्तुत अभिलेखों में आप द्वारा किसी प्रकार का सशोधन/परिवर्तन किया जाता है तो उसकी सूचना सुरांगत अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों सहित तत्काल इस कार्यालय को दी जाए तथा अभिलेखों में इंगित पते/ई-मेल पर भेजा गया पत्र आपको प्राप्त हुआ माना जाएगा।
- 7- अवर अभियंता(प्राविधिक), कार्यालय मुख्य अभियंता(पश्चिमी), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि फर्म/टेकेदार के पंजीकरण की इन्टी विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करे।



मुख्य अभियंता (पश्चिमी)  
ग्रामीण अभियंत्रण विभाग  
लखनऊ।

श्री अमर चन्द्र राजपूत

मुख्य अभियंता(पश्चिमी)